

उत्तर प्रदेश सरकार  
कृषि अनुभाग-५  
संख्या-ए-८३९६/१२-३-१२९/७५  
दिनांक लखनऊ ३० अक्टूबर, १९७६

अधिकारी

बीज अधिनियम १९६६ (अधिनियम संख्या चउबनै सन् १९६६) की धोरण-४ के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके राज्यपाल महोदय उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक प्रमाणीकरण संस्था जिसका नाम "उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था" होगा, की स्थापना की सहज स्वीकृति प्रदान करते हैं।

थाना से  
४० जंगल नारायण घोड़ा  
आयुष्मान एवं सचिव